



2026:AHC:45183

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 3063

मौन सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनिल कुमार शुक्ला, सरिता झिंगन

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह 1991 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात है। वह 'उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) दैनिक वेतन भोगी, कार्य प्रभारित और संविदा आधारित समूह 'घ' पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण नियमावली, 2016' के प्रावधानों के तहत नियमितीकरण का दावा कर रहा है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे का परीक्षण प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करे। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।